भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1569

सोमवार, 9 फ़रवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

ई-श्रम पोर्टल के लाभार्थी

†1569. **श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वलसाड-डांग क्षेत्र में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की कुल संख्या और उनमें से वर्तमान में ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में असंगठित श्रमिकों के लिए अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता और पंजीकरण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) के निर्माण के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों को पंजीकृत करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करता है।

दिनांक 3 फरवरी 2026 तक की स्थिति के अनुसार, 31.50 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं, जिसमें गुजरात के वलसाड और डांग जिले में 4,72,816 पंजीकरण शामिल हैं।

ई-श्रम के तहत पंजीकृत असंगठित कामगारों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। जिन्होंने गुजरात के वलसाड और डांग जिलों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया है

जारी-2/--

ई-श्रम पहल के अंतर्गत पंजीकरण बढ़ाने और देश भर में असंगठित कामगारों के व्यापक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एक व्यापक कार्यनीति अपनाई है। वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्व-पंजीकरण को समर्थ बनाने के अलावा, कामगारों हेतु आसान पहुंच की सुविधा के लिए सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी), राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और उमंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायक पंजीकरण मोड शुरू किए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय लक्षित जागरूकता अभियान चला रहा है जिसमें पंजीकरण अभियान, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम और स्थानीय रूप से तैयार किए गए संचार प्रयास शामिल हैं। आउटरीच को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय वीडियो, ट्यूटोरियल और अन्य सूचनात्मक सामग्री का प्रसार करने हेतु सोशल मीडिया चैनलों का लाभ उठाता है, जिससे पहल अधिक सुलभ और आकर्षक हो जाती है।

असंगठित कामगारों के लिए ई-श्रम और इससे जुड़ी सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच को और अधिक बढ़ाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर दिनांक 24 फरवरी 2025 को ई-श्रम मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया। यह एप्लिकेशन, ई-श्रम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कल्याणकारी योजनाओं तक वास्तविक समय आधार तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे पहुंच और प्रयोक्ता सुविधा दोनों को काफी मजबूती मिलती है।

* *****

अनुबंध

"ई-श्रम पोर्टल के लाभार्थी" के संबंध में श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1569 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

ई-श्रम के तहत पंजीकृत असंगठित कामगारों का ब्यौरा जो गुजरात के वलसाड और डांग जिलों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं।

योजनाएं	**वलसाड-डांग जिलों में नामंकन की संख्या**
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम)	499
वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)	365
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेवाई)	125
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	75
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	30
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	20
विकसित भारत-गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी)	14
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्व-निधि)	10
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	2
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	1

****